प्रशासनिक आदेश संख्या– 35/2020 दिनांकित 19.12.2020

माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के पत्रांक संख्या 1687/LXXXVII-CPC/e-Courts/Allahabad/Dated– 18.12.2020 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के खोले जाने के सम्बन्ध में निम्नलिखित दिशा–निर्देश जारी किये गये हैं–

1. माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के अधीनस्थ सभी न्यायालय (अधिकरण को लेकर) वर्तमान विधिक प्राविधान, नियम, दिशा–निर्देश एवं समय–समय पर जारी परिपत्र के अनुसार न्यायिक एवं प्रशासनिक कार्य किये जाने हेतु खुलेगें।

2. माननीय उच्च न्यायालय के पत्रांक संख्या 484 / Infracell. इलाहाबाद दिनांकित 30.05.2020 जिसके द्वारा मुकदमों की वरीयता के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश जारी किये गये हैं, का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।

3. यदि जिला प्रशासन/सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा अधिकारी इस राय के हैं कि जिला/आउटलाइंग कैम्पस को कोविड–19 वैश्विक महामारी के कारण निश्चित समय के लिये बन्द कर दिया जाये तब जिला न्यायालय/आउटलाइंग कोर्टस को उक्त अवधि के लिये बन्द किया जा सकता है और विशेष कारण उल्लिखित करते हुये उसकी सूचना माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद को प्रेषित की जायेगी।

4. चिकित्सीय दिशा निर्देशानुसार जिला मजिस्ट्रेट एवं अन्य प्रशासनिक अधिकारियों तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक के सहयोग से सम्पूर्ण न्यायालय परिसर का जिला प्राधिकारियों द्वारा सेनेटाइजेशन कराया जायेगा।

5. न्यायालय परिसर में प्रवेश करने वाले सभी व्यक्तियों का थर्मल स्कैनिंग चेकअप जिला मजिस्ट्रेट एवं अन्य प्रशासनिक अधिकारियों तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक के द्वारा कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

6. जिला जज/पीठासीन अधिकारीगण माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा न्यायिक क्षेत्र में जारी सभी दिशा निर्देशों का अनुपालन करेगें और वैश्विक महामारी कोविड–19 के सम्बन्ध में केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा जारी सभी दिशा–निर्देशों का अनुपालन करेगें।

7. जिला जज e–service module पर प्रतिदिन निस्तारित होने वाले वादों/प्रार्थनापत्रों की समेकित आख्या प्रेषित करेगें।

8. उपरोक्त दिशा–निर्देश दिनांक 02.01.2021 से लागू होगा।

माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के उपरोक्त वर्णित पत्रांक में जारी दिशा–निर्देशों के अनुपालन में जिला अधिकारी सीतापुर, मुख्य चिकित्सा अधिकारी/ मुख्य चिकित्सा अधीक्षक सीतापुर, अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका सीतापुर को निर्देशित किया जाता है कि वें प्रतिदिन न्यायालय परिसर एवं इसमें स्थित न्यायालय/कार्यालय/अनुभाग/भवन/बार एसोसिएशन की

साफ–सफाई एवं सेनेटाइजेशन न्यायालय में कार्यरत नजारत अनुभाग के सहयोग से कराया जाना सुनिश्चित करें।

आदेश की एक–एक प्रति सभी अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय सीतापुर तथा एक प्रति बार एसोसिएशन सीतापुर को प्रेषित की जाये एवं एक प्रति प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय सीतापुर के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जाये।

दिनांक– 19.12.2020

(श्यामजीत यादव)
प्रधान न्यायाधीश,
कुटुम्ब न्यायालय,
सीतापुर।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. जनपद न्यायाधीश, सीतापुर।

2. जिला मजिस्ट्रेट, सीतापुर।

3. मुख्य चिकित्सा अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक सीतापुर।

4. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका सीतापुर।

5. सिस्टम ऑफीसर, केन्द्रीय कम्प्यूटर कक्ष, दीवानी न्यायालय सीतापुर को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश को जनपद न्यायालय सीतापुर की वेबसाइट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

6. जिला सूचना अधिकारी, सीतापुर को उक्त आदेश को दैनिक समचार पत्रों में निः शुल्क प्रकाशित कराने हेतु।

दिनांक– 19.12.2020

(श्यामजीत यादव)
प्रधान न्यायाधीश,
कुटुम्ब न्यायालय,
सीतापुर।